हिन्दुस्तान

तरक्की को चाहिए नया नजरिया

सोमवार, 12 फरवरी 2018 रांची, वर्ष 18, अंक 36, 20 पेज, पांच प्रदेश, 20 संस्करण | www.livehindustan.com | मूल्य ₹3.00, फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वादशी, विक्रम संवत् 2074, नगर संस्करण

गठबंधन पर सफाई

राजनीति में आए कमल हासन ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि रजनीकांत का रंग भगवा नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो उनके साथ गठबंधन की संभावना नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को दिया निर्देश, अगली कैबिनेट बैठक में आएगा प्रस्ताव

भोजपुरी, मगही व अंगिका शीघ्र बनेंगी दूसरी राजभाषा

रांची | प्रशांत झा

राज्य में मगही, भोजपुरी और अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा शीघ्र मिलेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया है। कार्मिक विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किए जाने की उम्मीद है। अगर इन भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला तो बिहार से सटे झारखंड के कई जिलों में रहने वाले लोगों को नौकरियों में फायदा मिलेगा।

इन्हें प्राप्त है द्वितीय राजभाषा का दर्जा: झारखंड में अभी बांग्ला, उर्दू और उड़िया को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा नौ जनजातीय भाषाओं संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुड़ुख (उरांव) को भी इसमें शामिल किया गया है।

इन इलाकों में ज्यादा बोलचाल : भोजपुरी मुख्य रूप से दक्षिणी छोटानागपुर और कोयलांचल में बोली जाती है। मगही बिहार से सटे इलाके पलामू, चतरा और हजारीबाग में तथा अंगिका संथाल परगना क्षेत्र के देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज आदि इलाकों में बोली जाती है।

अगली कैबिनेट में आने की उम्मीद: राज्य में विभिन्न संगठनों द्वारा इन भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसे ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग को प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया है। इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट में रखने के लिए कहा गया है।

द्वितीय राजभाषा का लाभ

यूनिसेफ ने कुछ वर्ष पहले राज्य में सर्वे किया था। इसमें यह बात सामने आई थी कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 80 फीसदी लोग हिन्दी की जगह स्थानीय भाषा बोलते हैं। स्कूल आने वाले बच्चे हिन्दी की बजाए स्थानीय भाषा ज्यादा समझते हैं। लिहाजा, शिक्षकों की नियुक्ति में एक स्थानीय भाषा में परीक्षा ली गई थी। इन भाषाओं का चयन क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया गया था। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, उन्हें ही उस क्षेत्र के लिए रखा गया था। इसलिए भविष्य में भी जिला स्तर पर नौकरी में इन भाषाओं को लिखने-पढ़ने वालों को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।

- इन भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की मांग है पुरानी
- फैसला लागू हुआ तो कई जिले के लोगों को होगा फायदा

दर्जा देने की क्या है प्रक्रिया

कैबिनेट से पारित होने के बाद सरकार के पास दो रास्ते होंगे। पहला या तो सरकार अध्यादेश के रूप में इसे लाए या फिर दूसरा तरीका है विधेयक के रूप में। विधेयक के रूप में लाने पर सरकार को विधानसभा सत्र का इंतजार करना होगा। सदन से पारित करा कर इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जबकि अध्यादेश को सरकार सीधे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज सकती है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद यह लागू किया जा सकता है और बाद में विधेयक के रूप में सदन से पारित कराया जा सकता है।

राममंदिर के हिमायती नदवी बोर्ड से बर्खास्त

हैदराबाद/लखनऊ | विशेष संवाददाता

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बगावत का रहस्योद्घाटन आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने रविवार के अंक में प्रमुखता से किया था। देर शाम हैदराबाद में इस पर मुहर भी लग गई। बोर्ड ने अपनी कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य और अयोध्या में राममंदिर के हिमायती मौलाना सलमान नदवी को बर्खास्त कर दिया। नदवी ने बोर्ड के समानांतर 'शरीयत अप्लीकेशन बोर्ड' बनाने का ऐलान कर दिया है।

मौलाना सलमान नदवी अयोध्या के विवादित स्थल की जमीन पर मुसलमानों का दावा छोड़ते हुए कहीं और उसी नाम से मस्जिद बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं। नदवी की इस पहल को अनुशासनहीनता करार देते हुए हैदराबाद में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन शुक्रवार को दो प्रमुख सदस्यों कमाल फारूकी और डॉ.कासिम रसूल इलियास ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस पर कार्यकारिणी के कुछ अन्य सदस्यों ने भी सहमति जतायी थी। इसके बाद बोर्ड नेतृत्व ने इस बाबत चार सदस्यीय कमेटी गठित की थी जिसकी रिपोर्ट पर रविवार को यह फैसला हुआ। मौलाना नदवी ने 'हिन्दुस्तान' से कहा कि मुझे निकाला नहीं गया है, मैंने खुद को बोर्ड से अलग कर लिया है। मौलाना ने कहा कि वे अयोध्या मसले को आपसी बातचीत से सुलझाने की अपनी मुहिम नहीं छोड़ेंगे।

हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव

ओवैसी की गोद में चला गया है बोर्ड : नदवी

बर्खास्तगी के बाद 'हिन्दुस्तान' से विशेष बातचीत में मौलाना सलमान नदवी ने कहा कि आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब ओवैसी की गोद में चला गया है। आजम खां जैसे लोग बोर्ड में दखल दे रहे हैं। सुलह-समझौते के लिए 20 फरवरी को अयोध्या आ रहे श्री श्री रविशंकर और संत समाज के लोगों से मुलाकात करूंगा।

कोर्ट में तय होगा मुद्दा

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि राममंदिर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा। सभी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अब समझौते के लिए कोई फार्मूला सुझाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए देर हो चुकी है। सुलह का फार्मूला कुछ लोगों की व्यक्तिगत कोशिश हो सकती है।

रूस में बड़ा विमान हादसा, 71 की मौत

मॉस्को। रूस का एक विमान राजधानी मास्को के दोमोदेदोवो हवाईअड्डा से उड़ान भरने के बाद पांच मिनट बाद ही बाहरी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें चालक दल के छह सदस्यों सहित कुल 71 लोग सवार थे, जिनमें से किसी के जीवित बचने की कोई संभावना नहीं है। जानकारी के मुताबिक यह विमान यूराल पर्वतमाला के दक्षिणी छोर पर स्थित ओर्स्क शहर जा रहा था।

पांच मिनट बाद हादसा पेज 11

आईटीआई: फिटर परीक्षा की गई रद्द

धनबाद। आईटीआई द्वितीय सेमेस्टर में फिटर व्यवसाय पेपर-1 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा से पहले प्रश्न-पत्र लीक हो गया था। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान में छपी खबर को आधार बनाकर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी किया है। हिन्दुस्तान को लगातार शिकायत मिल रही थी कि आईटीआई की परीक्षा का पेपर बाजार में उपलब्ध है।

ब्योरा पेज 06

सुंजवां सैनिक शिविर में एक और आतंकी ढेर

सुंजवां (जम्मू) | एजेंसियां

सुंजवां सैन्य शिविर में 40 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ में सेना के पांच जवान शहीद हो गए। हमले में एक नागरिक की भी मौत हुई है। वहीं जवाबी कार्रवाई में तीन आतंकियों को ढेर कर दिया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार शाम को सेना की ओर शिविर के खाली कराए गए फ्लैट की ओर मोर्टार दागे गए। इससे फ्लैट में आग लग गई पर उधर से कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई। सेना ने मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। जैश-ए-मोहम्मद के ‍आतंकियों ने शिविर पर शनिवार तड़के हमला किया था। सुरक्षाबलों ने शनिवार को दो आतंकियों को मार गिराया था। एक और आतंकी रविवार को मारा गया है। वहीं सेना के तीन और जवान शहीद हो गए हैं। एक सैन्य कर्मी के पिता की मौत हो गई।

जम्मू में रविवार को आतंकियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाते जवान।

रिम्स की नर्सें गईं हड़ताल पर

रांची। रिम्स में कार्यरत 353 नर्सें रविवार आधी रात के बाद बेमियादी हड़ताल पर चली गईं। हड़ताल को टालने को लेकर रविवार दिन भर सरकार की ओर से प्रयास किया गया लेकिन रिम्स जूनियर नर्सेज एसोसिएशन ने मांगे पूरी किए बगैर हड़ताल टालने से मना कर दिया।

वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सुधीर त्रिपाठी ने रिम्स में विभागाध्यक्षों एवं सीनियर नर्सों के साथ बैठक की। सचिव ने कहा कि नर्सों की लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं। वित्तीय मामलों के निष्पादन के लिए कमेटी काम कर रही है। नर्सों से हड़ताल टालने का अनुरोध किया गया है। मरीजों को किसी प्रकार की परेशान न हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नर्सें मंगाई गई है।

देखें पेज 03

सीबीएसई मॉडल पेपर

सीबीएसई के छात्रों के लिए मॉडल पेपर की शृंखला में आज देखें 10वीं गणित का प्रश्नपत्र। उत्तर **www.livehindustan.com** पर उपलब्ध होंगे।

पेज 17

अवैध बस्तियां की जाएंगी वैध

आदित्यपुर | संवाददाता

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 2020 तक राज्य के सभी गरीबों को सरकार घर मुहैया करा देगी। बजट में शहरी विकास और आवास के लिए 32 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकारी जमीन पर बसी अवैध बस्तियों को वैध किया जाएगा। मुख्यमंत्री रविवार को आदित्यपुर के जयप्रकाश उद्यान से कोल्हान की तीन बड़ी योजनाओं के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन पर बसी बस्तियां या स्लम क्षेत्र में बसे लोगों की चिंता सरकार को है। ऐसी जमीन पर बसी बस्तियों के लिए अतिक्रमित का दर्जा नहीं रहे, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। आर्थिक विकास दर में गुजरात के बाद झारखंड को देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता की विकसित सोच का परिणाम है। सीएम ने लोगों से अपील की कि पानी-बिजली समेत अन्य सरकारी शुल्क समय पर जमा करें। खासमहाल मामला वर्षों से लटका था। लोगों से जितना राजस्व मांगा जा रहा था, वह देना संभव नहीं था। सरकार ने तीस साल के लगान को कम कर मामले को सरल कर दिया।

32 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है शहरी विकास के लिए

30 साल के लगान को कम कर खासमहाल मामले को सरल किया

बोले सीएम

- कहा- राज्य में 2020 तक हर गरीब को मकान
- राज्य के हर शहर में बनेगा दादा-दादी पार्क

जरूर जानें

समाजसेवी अस्मां जहांगीर का निधन

पाकिस्तान की चर्चित मानवाधिकार वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अस्मां जहांगीर का रविवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

पेज 11

जरूर पढ़ें

अपनी जड़ों को खोजते वे भारतवंशी

गिरमिटिया मजदूरों को विस्थापित करने की एक सदी पूरी हो गई है। सस्ते श्रम के लिए देश की हिंदी पट्टी से जबरन विस्थापित किए गए उन मजदूरों की याद जो साम्राज्यवादी युग के कुरूप चेहरे की याद दिलाती है।

पेज 08

बद्री नारायण

मोदी ने अबूधाबी में हिंदू मंदिर की नींव रखी

अबू धाबी | एजेंसियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया। मोदी ने दुबई ओपेरा हाउस से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के स्वामीनारायण मंदिर की नींव रखी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री अबू धाबी-दुबई राजमार्ग पर स्वामीनारायण मंदिर की आधारशिला रखने के साक्षी बने। अबू धाबी के शहजादे द्वारा दी गई जमीन पर अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है।

ब्योरा पेज 11

भारत की पहचान होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के पहले हिंदू मंदिर का रविवार को शिलान्यास किया। उन्होंने इस धार्मिक स्थल को मानवता का उत्प्रेरक तत्व बताया, जो भारत की पहचान का जरिया बनेगा।

1389 केंद्रों पर 7.48 लाख परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

सूची जारी

रांची | वरीय संवाददाता

आठ मार्च से शुरू होने वाली मैट्रिक व इंटर परीक्षा के लिए रविवार को जैक ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी। इस बार इंटर और मैट्रिक के कुल 7. 48 लाख छात्रों के लिए 1389 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछली बार 7.92 लाख छात्रों के लिए 1385 केंद्र बनाए गए थे। इस बार धनबाद में सबसे ज्यादा मैट्रिक में 101 और इंटर में 72 केंद्र बने हैं।

जैक की ओर से पहली बार फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। इसका असर छात्रों की संख्या पर दिखा। मैट्रिक परीक्षा में इस बार पिछले साल की तुलना में 36 हजार कम छात्र शामिल होंगे। 2017 में 4, 66,764 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, इस बार 4,31,734 विद्यार्थी ही बैठेंगे। वहीं इंटर में विद्यार्थियों की संख्या में 10 हजार की कमी आई आई है। 2017 में 3,26,109 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे जबकि इस बार 3,16,369 विद्यार्थी ही बैठेंगे।

देखें पेज 02

दलीय आधार पर चुनाव होने के कारण आदर्श आचार संहिता से लेकर चुनाव खर्च तक के प्रावधानों में करना होगा संशोधन

नगर निकाय चुनाव के बदलेंगे कई नियम- कायदे

रांची | मुकेश बालयोगी

झारखंड में पहली बार दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव होने के कारण कई नियम-कायदे बदलेंगे। प्रावधानों में संशोधन कर इनकी पुस्तिकाओं को नए सिरे से जारी करना होगा। इसके बिना चुनाव प्रक्रिया के संचालन में कई गतिरोध पैदा होंगे। नए प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग को तय करने हैं।

संशोधन के लिए जरूरी नियम-कायदे : चुनाव आचार संहिता, चुनाव खर्च अनुश्रवण नियमावली, निर्वाचन प्रतीक आवंटन आदेश, चुनाव प्रेक्षक मैनुअल, निर्वाची पदाधिकारी मैनुअल, मतदान अधिकारी मैनुअल और पीठासीन पदाधिकारी मैनुअल में बदलाव जरूरी है। इनकी रोशनी में ही आयोग चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित करता है। अधिकारियों को भी निगरानी के दिशा-निर्देश इन्हीं के माध्यम से दिए जाते हैं।

दलीय झंडे-बैनर नहीं रहेंगे अवैध : नगर निकाय चुनाव के प्रचार में पार्टियों के झंडे-बैनर और पोस्टर के साथ प्रचार को अबतक अवैध माना जाता रहा है।

इस बार दलीय आधार पर चुनाव होने के कारण इन्हें वैध करना होगा।

यहां भी संशोधन जरूरी

- पार्टी नेताओं की सभाओं और दौरे के मद्देनजर चुनाव खर्च सीमा में
- पार्टी के स्तर पर भी चुनावी खर्च के प्रावधान करने होंगे
- चुनाव प्रेक्षक से निर्वाची अधिकारी तक को निगरानी को दिशा-निर्देश जरूरी

ये नियम-कायदे बदलेंगे

चुनाव आचार संहिता, चुनाव खर्च अनुश्रवण नियमावली, निर्वाचन प्रतीक आवंटन आदेश, चुनाव प्रेक्षक मैनुअल, निर्वाची पदाधिकारी मैनुअल, मतदान अधिकारी मैनुअल, पीठासीन पदाधिकारी मैनुअल

सरकार की ओर से किसी परियोजना का शिलान्यास, राशि आवंटन, निर्माण प्रक्रिया या उद्घाटन की परिस्थितियों के प्रावधान भी नए सिरे से स्पष्ट करने होंगे।

असमंजस में पार्टियां

अधिकृत उम्मीदवारों के बारे में आयोग को सूचित करने के बारे में भी पार्टियों में असमंजस है। महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में आयोग पार्टियों से अधिकृत हस्ताक्षर मांगता है। उसी हस्ताक्षर से जारी उम्मीदवारों की सूची को माना जाता है। ऐसे में यहां भी पार्टियों के टिकट देने का तरीका राज्य निर्वाचन आयोग को बताना होगा। इसके लिए चुनाव प्रतीक आवंटन आदेश में बदलाव करना होगा।